राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./पार्ट–II/2010 जयपुर, दिनांकः

14 JUN 2010

अधिसूचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम –2005 (2005 के अधिनियम संख्या 42) की धारा 4 की उपधारा 1 द्वारा प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देने हेतु दिनांक 24 जुलाई, 2006 को अधिसूचित की गयी एवं उसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के उपरान्त एवं यह समाधान हो जाने पर कि अधिसूचित स्कीम में संशोधन किया जाना आवश्यक है, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अध्याय 4 के बिन्दु संख्या 27 (बेरोजगारी भत्ता) के उपबिन्दु संख्या 2 में दिनांक 05.03.2008 द्वारा किये गये संशोधन को पुनः संशोधित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार पैरा पदस्थापित किया जाता है :–

   "बेरोजगार भत्ते की दरें, अधिनियम की धारा 7 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रथम 30 दिवस में बेरोजगारी भत्ते की दर रू. 25/–प्रति दिवस तथा शेष अवधि के लिए रू.50/– प्रति दिवस निर्धारित की जाती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते की दरें प्रथम 30 दिवस के लिए न्यूनतम मजदूरी दर ही एक चौथाई एवं शेष अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी दर की आधी होगी"।

2. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2007 को अधिसूचित किये गये पैरा 1 में स्कीम के नाम "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान" के स्थान पर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान" प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. अध्याय 3 के बिन्दु संख्या 21 (कार्यों की स्वीकृतियां) के प्रथम पैरा में पुनःसंशोधन करते हुए रू. 50.00 लाख के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाता है कि योजनान्तर्गत समस्त कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी होंगे। वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जा चुकी है। प्रत्येक 50.00 लाख रूपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति की एक प्रति आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस को भेजी जावे।
   कार्य की लागत रू. 50.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में कार्य की कार्यकारी संस्था पंचायती राज संस्था ना होकर कार्य की प्रकृति के आधार पर सम्बन्धित राजकीय विभाग होंगे।

14/6/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस